A-II
T1-48/22

विमला देवी बनाम राजेश्वर

कार्यालय टिप्पणी

[illegible] 27/12/22 को [illegible]
[illegible] जाने [illegible]
[illegible] जा सकी [illegible]
[illegible] पर है। अतः [illegible]
पूर्व कार्य [illegible] 12/1/23 को पेश हो।

28/12/22 — पत्रावली जमीन बनाम [illegible] वाद [illegible] निषेधाज्ञा [illegible] की [illegible] पेशी के दौरान [illegible] पक्षों [illegible] निषेधाज्ञा [illegible] किया जा चुका है। प्रकरण [illegible] निषेधाज्ञा [illegible] यथास्थिति [illegible] निषेधाज्ञा को आगे चलाया जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए [illegible] निषेधाज्ञा [illegible] निरस्त किया जाता है। पत्रावली [illegible] दिनांक [illegible] निर्णय आज दिनांक 28/12/22 को लिखाया जाकर [illegible] सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर जिला

विमला देवी
28/12/22